

23.5.17 पत्रावली राज्य लोक अदालत अभिमान -
 अदालत सेवा केन्द्र गा.प. पापला
 खुर्द ने पेश हुई। वकील आजीगण
 उपस्थित। पत्रकारों लोक अदालत
 गोपनीय कांड तारीख सुनाई हुई। जो
 शामिल मिले। विद्यार्थीगण बावपुड
 कक्षा अदालत में एकठा हो
 कक्षा खुली गई। और पत्रावली
 का अवलोकन किया गया। वकील
 पापा, कि विवादित मामों के आधी
 व विद्यार्थी क.। ले 3 को सहस्त्रोत्तर
 है और सहस्त्रोत्तर के विकल्प
 सुझावन आदेश जारी नहीं किया
 जा रहा है। क्योंकि विधिगत व्यवस्था
 को बिना प्रत्येक इंसान आधी पर प्रत्येक
 स्वतंत्रता का बख्शा - कायदा जारी
 जाता है एवं केला कोई ठोस दस्तावेजी
 साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। वकील
 उपस्थित हो, कि आजीगण सुझावन जारी
 करवाने के इकायत है। केही सूत्र
 से आजीगण का आवेदन बाबरी ताला
 के आधार पर लेने से कारण
 स्वतंत्रता किया जाता है।

शेखर मजुमदार सुनाया गया।

पत्रावली केवल सुनाए तैयार जारीत
 दफतर में।

महायुक्त कलेक्टर
 SDC गिरिधारी